कार्यालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक :– 151 दिनांक :– 15.01.2025

– आदेश –

मैं, प्रियंकर सिहाग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12(1) व 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम के अनुमोदन आदेश क्रमांक स्थापना/2025/322 दिनांक 13 जनवरी, 2025 के अनुक्रम में, जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के जयपुर मुख्यालय पर स्थित मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायालयों में कार्य का समानीकरण किये जाने तथा प्रशासनिक प्रयोजन से न्यायालयों को प्रदत्त पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में आंशिक संशोधन किया जाकर पूर्व प्रसारित क्षेत्राधिकार प्रदत्त संबंधी आदेशों को इस आदेश की सीमा तक अतिलंघित करते हुये निम्न सारणी में अंकित न्यायालयों को पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार प्रदत्त करता हूँ:–

जयपुर मुख्यालय

क्र0सं0	नाम न्यायालय	क्षेत्राधिकार पुलिस थाना
(01)	(02)	(03)
(1)	विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण) जयपुर महानगर प्रथम	**अशोक नगर**
(2)	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम–03, जयपुर महानगर प्रथम	**मोतीडूंगरी**
(3)	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम–04, जयपुर महानगर प्रथम	**आदर्श नगर**
(4)	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम–16, जयपुर महानगर प्रथम	**खो–नागोरियान**
(5)	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम–19 , जयपुर महानगर प्रथम	**शिप्रापथ**
(6)	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम–11, जयपुर महानगर प्रथम	**ज्योति नगर**

नोट :–

1. **यह आदेश दिनांक 16.01.2025 से प्रभावी होगा** तथा दिनांक 16.01.2025 से पूर्व अर्थात दिनांक 15.01.2025 तक की प्रथम सूचना रिपोर्ट/परिवाद/चालान/नतीजे आदि समस्त कार्यवाहियां पूर्व क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा सम्पादित की जावेगी तथा दिनांक 16.01.2025 एवं उसके बाद प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट/परिवाद/चालान/नतीजे आदि समस्त कार्यवाहियां इस आदेश द्वारा प्रदत्त नवीन क्षेत्राधिकार प्राप्त करने वाले न्यायालयों के द्वारा की जावेगी।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश द्वारा जयपुर महानगर प्रथम के थाना क्षेत्र की सीमाओं पर अधिकारिता रखने वाले वर्तमान न्यायालयों का मुख्यालय परिवर्तित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की भ्रांति की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता से निर्देश प्राप्त किये जावेंगे।

(प्रियंकर सिहाग)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम